उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–54/2020–21

सरकार

–बनाम–

लक्ष्मी नारायण जयसवाल

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2962/अ0 शा0 दिनांक – 30.11.2020 के द्वारा वादी श्री राजेश हंसदा पे0–स्व0 राम हंसदा सा0–गौरखुँटी (भौरा) थाना–सुदामडीह जिला–धनबाद वर्तमान जिला खान निरीक्षक, गुमला के कम्प्यूटरकृत आवेदन के आधार पर पुसो थाना काण्ड सं0–12/2020 दिनांक–13.08.2020 धारा–379/414 भा0 द0 वि0 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली–2017 के तहत् अवैध रुप से बालू का उठाव करने के आरोप में जप्त हाईवा निबंधन संख्या–JH01CE– 1472, के मालिक लक्ष्मी नारायण जयसवाल पे0–राजकुमार जयसवाल सा0–सिसई थाना–सिसई जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी अनुपस्थित रहने के कारण उनका पक्ष को नही सुना गया।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि श्री राजेश हंसदा पे0–स्व0 राम हंसदा सा0–गौरखुँटी (भौरा) थाना–सुदामडीह जिला–धनबाद वर्तमान जिला खान निरीक्षक, गुमला के कम्प्यूटरकृत आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रुप से बालू का उठाव करने का आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 (यथा) संशोधित) के नियम–4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा–4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम–7 एवं 13 के तहत् मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त हाईवा निबंधन संख्या–JH01CE– 1472, के मालिक लक्ष्मी नारायण जयसवाल पे0–राजकुमार जयसवाल सा0–सिसई थाना–सिसई जिला–गुमला के विरुद्ध बालू का उत्खनन कर परिवहन कर व्यवसाय करने के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:–

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with

direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं0–360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence,the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि जप्त किये गये वाहनों के द्वारा अबन्दोबस्त नदी घाट से बालू का उठाव कर एवं अवैद्य रुप से बालू का भंडारित कर परिवहन कार्य किया जा रहा है। साथ ही इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नही रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नही होने के कारण उसको अवैध रुप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों में उल्लिखित नियमों के विरुद्व किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त हाईवा निबंधन संख्या–JH01CE– 1472, को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

30.12.22

उपायुक्त,
गुमला

30.12.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.12.31 12:56:06 +05:30
Location: 192.168.5.105